न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू

(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

प्राथना पत्र संख्याः– 353/2025

दर्ज तिथिः–01.09.2025

अमीलाल पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

–प्राथी–

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

–अप्रार्थी–

उपस्थित

वादी अधिवक्ताः– श्री मुकेश शर्मा।

प्रतिवादीः– पैरोकार सरकार।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–15/12/2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषिभूमि ख. नं. 3668/716 तादादी 0.0600 हैक्टेयर, खं. नं. 3677/1037 तादादी 0.6405 हैक्टेयर कुल तादादी 0.7005 हैक्टेयर वाके रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जो प्रार्थी की कब्जा व खातेदारी की कृषिभूमि है जिसमें प्रार्थी सम्पुर्ण हिस्सा का खातेदार व काश्तकार है। प्रार्थी का वास्तविक नाम अमीलाल व उसके पिता का वास्तविक नाम हरिराम है के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में सामान्य बोलचाल का नाम होने से प्रार्थी का नाम ईमीलाल तथा प्रार्थी के पिता का नाम हरीराम दर्ज कर दिया गया। जो गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम अमीलाल व उसके पिता का नाम हरिराम दर्ज होना चाहिए था। उक्त खातेदारी के अलावा आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजो आदि में प्रार्थी का नाम अमीलाल व उसके पिता का नाम हरिराम है। राजस्व रिकॉर्ड रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर में अंकित नाम व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित नाम से भिन्नता होने से प्रार्थी को भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। जिससे प्रार्थी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थी ने अपना व अपने पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में नायव तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थी अमीलाल पुत्र हरिराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और बयान लेखबद्ध करवाये। वकील प्रार्थी ने पत्रावली के संलग्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थन पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व उसके पिता

Rajendra

का नाम दुरस्त करवाने का निवेदन किया। मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका विवरण इस प्रकार है:– कि आज दिनांक 12/11/2025 को ग्राम साहवा में प्रार्थना पत्र सं. 353/2025 अनुवानी अमीलाल बनाम राजस्थान सरकार पत्रावली की जांच न्यायालय सहायक कल्कटर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट तारानगर चूरू क्रमांक/रीडर/2025/608 दिनांक 01/09/2025 एवं एलआर/423 दिनांक 08/09/2025 की पालना में ग्राम साहवा में खाता संख्या 146 में खातेदार ईमीलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी साहवा खं. नं. 3668/716 तादादी 0.0600 हैक्टेयर, खं. नं. 3677/1037 तादादी 0.6405 हैक्टेयर किसम बासोयम कुल तादादी 0.7005 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। ग्राम के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम व पत्रावली अंकित नाम की ग्राम में पूछताछ की गई पूछताछ पर ग्राम में बोलचाल के हिसाब से ईमलाल पुत्र हरीराम व अमीलाल पुत्र हरिराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति का होना बताया गया है। मुताविक जांच के खाता सं. 146 राजस्व रिकॉर्ड साहवा में ईमीलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल की बजाय अमीलाल पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

4. उक्त विश्लेषण एवं नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है कि कृषिभूमि ख. नं. 3668/716 तादादी 0.0600 हैक्टेयर, खं. नं. 3677/1037 तादादी 0.6405 हैक्टेयर कुल तादादी 0.7005 हैक्टेयर वाके रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम ईमीलाल पूत्र हरीराम के स्थान पर अमीलाल पुत्र हरिराम दर्ज करना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व नायब तहसीलदार साहवा रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 नायब तहसीलदार साहवा रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं कृषिभूमि ख. नं. 3668/716 तादादी 0.0600 हैक्टेयर, खं. नं. 3677/1037 तादादी 0.6405 हैक्टेयर कुल तादादी 0.7005 हैक्टेयर वाके रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम ईमीलाल पूत्र हरीराम के स्थान पर अमीलाल पुत्र हरिराम दर्ज किया जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। नायब तहसीलदार साहवा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.12.2025 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हलका साहवा दिनांक 12.11.2025 निर्णय का भाग रहेगी। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)